अधिकारी

ायालय उपखण्ड ..... कठूमर जिला अलवर

2/12/2020

तारीख रजू.....

जग्गो उर्फ जग्गू वगैरा **बनाम** रामचरण वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 340, 394, 454, 449, 99, 125, वाके ग्राम भरीथल तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 29.09.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.09.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	U 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,

25/8/20

वक्तव्य उपरान्त अतः प्रा०पत्र 212 दिनांक सम्बन्धित पत्र आवेदित कागजों में शामिल रहे हैं। अतः प्रा०पत्र नामान्तरकरण निगरानी फैसल कन्फर्म किया है। अतः पत्रावली पर जारी रेट आदेश दिनांक 30.7.2020 कन्फर्म किया जाता है। निर्णय सबको सुनाया जाकर स्था०कि० किया गया। प्रतिलिपि पत्र की मय शुमार नकल को भेजी जावे तहसील ... के साथ दाखिल रिकॉर्ड हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 12 / 20220

वउनवान

1. जग्गो उर्फ जग्गू पुत्र चेती जाति जाट निवासी भरीथल
2. बलजीत पुत्र चेती जाति जाट निवासी भरीथल

2 / 1.दौलत पुत्र बलजीत जाति जाट निवासी भरीथल

2 / 2.मोहनसिंह पुत्र स्व0 बलजीत जाति जाट निवासी भरीथल

2 / 3.जोगेन्द्र पुत्र स्व0 बलजीत जाति जाट निवासी भरीथल

2 / 4.परभाती पत्नी स्व0 बलजीत जाति जाट निवासी भरीथल

2 / 5.विमला पुत्री बलजीत पत्नी कंवरपाल जाति जाट निवासी भरीथल हालवासी ग्राम खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर

3. भजनसिंह पुत्र रघुवीरसिह जाति जाट निवासी भरीथल
4. श्रीचन्द पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
5. विजयसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
6. अमरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
7. थानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
8. मोहनलाल उर्फ महीलाल पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर

----- सायलान

बनाम

1. रामचरण पुत्र मूली जाति जाट निवासी भरीथल
2. छीतर पुत्र नन्नू जाति जाट निवासी भरीथल
3. शिब्बी पुत्र घीसी जाति जाट निवासी भरीथल
4. गणपत पुत्र घीसी जाति जाट निवासी भरीथल
5. वीरसिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

5/1.धर्मेन्द्र पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल

5/2.कमलेश वेवा वीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल

5/3.सपना पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल

पत्नी हरगोविन्द हालवासी न्यामदपुर तहसील वैर

6. सुन्दर पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
7. हितेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
8. ललतेश पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
9. रामदेई वेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
10. रामवती पत्नी मिश्री जाति जाट निवासी भरीथल
11. खैमवती पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
12. रीना पत्नी नेमसिंह जाति जाट निवासी भरीथल
13. कुसुम पुत्री नेमसिंह नाबालिग संरक्षक माता रीना पत्नी नेमसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर
14. कृष्णा पुत्र नेमसिंह नाबालिग संरक्षक माता रीना पत्नी नेमसिंह जाट निवासी भरीथल माता खुद
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर
16. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर
17. पी एन बी शाखा कठूमर
18. बी आर के जी बी कठूमर
19. भूमि विकास बैंक शाखा लक्ष्मणगढ जिला अलवर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपस्थित :–

श्री सुभाषचन्द शर्मा – अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री रामजीलाल शर्मा

श्री –मानसिंह चौधरी अधिवक्तागण– गैरसायलान की ओर से

आदेश

दिनांक 25.05.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 390, 394, 450, 454, 449, 99, 125 ग्राम भरीथल तहसील कठूमर में स्थित हैं जो साविक खसरा नम्बर 103, 104, 97, 126, 127 140, 387, 362 से बनाये गये हैं। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में परिवार का सजरा अंकित किया है। चैनसुख के चार पुत्र क्रमशः चेती, मूली, नन्नू, घीसी थे जिन सभी की मृत्यु हो चुकी है। चेता के वारिसान में सायलान एंव एक अविवाहित पुत्र छुटटन था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए छुटटन की मृत्यु के उपरांत सायलान ही वारिसान है जिसमें सायल सं0 1 व 2 का 1/3–1/3 हिस्सा एंव सायल सं0 3 ला0 8 का 1/3 हिस्सा के हिस्सेदार है। मृतक मूली का वारिस गैरसायल सं0 1 एंव मृतक नन्नू के वारिस गैरसायल सं0 2 एंव मृतक घीसी के वारिसान गैरसायल सं0 3 ला0 9 है। विवादित आराजी संवत् 2012 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय व संवत् 2016 राजस्थान जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1960 लागू होने के समय सायलान एंव गैरसायल सं0 1 ला0 9 के संयुक्त हिन्दु परिवार की कब्जे काश्त में रही है और मुताविक धारा 13 एंव 15 आर टी एक्ट व धारा 29 जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम एंव गैरसायल सं0 1 ला0 9 को संयुक्त रूप से खातेदारी अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्राप्त हो गये है। उक्त सम्पूर्ण विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक आराजी थी जिस पर मौके पर मुताविक हिस्सा सायलान व गैरसायल सं0 1 ला0 9 काविज है परन्तु गैरसायलान के पूर्वजों ने गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों से वेजा साज वाज होकर अपने अकेलों के नाम सायलान को छोडते हुये दर्ज कराली जो कि कतई गलत है। सायलान विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा में सायल सं0 1–2 वहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा है तथा सायल सं0 3 ला0 8 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। राजस्व अभिलेख में हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर हाल खसरा नम्बर 125 रकवा 0.35 हे. को गैरायल सं0 1–2 द्वारा गलत रूप से विना किसी अधिकार के एक दिखावटी वयनामा गैरसायल सं0 10 ला0 14 के हक में करा दिया है जो सायलान की हद तक सायलान के मुकाविले वातिल व वेअसर है। सायलान के हिस्से पर इस दिखावटी वयनामा से क्रेताओं को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए उक्त आराजी में भी सायलान अपने आपको 1/4 हिस्से पर हिस्सानुसार खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक आराजी है। जिस पर संयुक्त हिन्दु परिवार के रूप से ही संयुक्त रूप से सायलान एंव गैरसायलान के चारों पूर्वज शामिल में सरीक रहकर काश्त करते थे और कानून के मुताविक भी एक सह हिस्सेदार का कब्जा सम्पूर्ण सह हिस्सेदारों का कब्जा होता है और एक गैरमोरूसी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होता है। धारा 29 जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के मुताविक खेवट में जिस प्रकार का हिस्सा दर्ज होता है उसी अनुसार समस्त सह खातेदारों को अधिकार खातेदारी प्राप्त होते है। परन्तु इन तमाम कानूनी विन्दुओं पर कोई भी विचार किए विना ही राजस्व कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से सायलान के नाम छोडते हुये गैरसायलान के नाम इन्द्राज कर दिये जो कतई गलत हैं। इन गलत इद्राजों को कलमजन कराकर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायलान उक्तानुसार ही अपने नाम इन्द्राजात करा पाने के अधिकारी है। गलत इन्द्राज की आड मे गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा करते है व दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल करने पर तुले है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ला0 9 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित आराजी विवादित नहीं है विवादित आराजी पैत्रिक हो इस सम्बन्ध में सायलान ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी ना होकर गैरसायलान की कब्जे काश्त की आराजी है उक्त आराजी पैत्रिक आराजी न होकर गैरसायलान के पिता एंव दादाओं की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर अव गेरसायलान काविज रहकर काश्त कर रहे है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से पूर्व उक्त आराजी पर गैरसायलान के दादा एंव पिताओं के कब्जे काश्त में थी वन्दोवस्त कर्मचारियों ने सैटलमेंण्ट के समय कब्जे एंव मौके की जांच कर कब्जे के आधार पर उक्त नम्बरान को गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज किया है। हाल राजस्व रेकार्ड सही है। उक्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक आराजी नहीं है सायलान वाद वर्णित आराजी वावत 1/4 हिस्सा की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। खसरा नम्बर 125 रकवा 0.35 हे. का वेचान गैरसायल सं0 1–2 द्वारा सही किया गया है। वयनामा बनावटी एंव प्रभावहीन नहीं है सायलान का उक्त आराजी पर ना तो कभी कब्जा रहा और ना है। गैरसायल सं0 1 को अपनी खातेदारी की आराजी को वेचान करने का पूरा अधिकार है। वयनामा वैद्य है जिन्हें प्रभावहीन व शून्य करार नहीं दिया जा सकता। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। विवादित आराजी से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किया जावे। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। गैरसायलान ने अपने कथनो की पुष्टि में जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 किता 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2010 से 2013 व छाया प्रति मिलान क्षैत्रफल वाके ग्राम भरीथल पेश की हे तथा कानूनी नजीर आर आर टी 2013(1) पेज 123–124, व पेज 133 से 136 की छाया प्रति तथा आर आर टी 2009 (2) 1398 ला0 1400 की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम भरीथल की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गई। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है।

प्रथम दृष्टा केस

सुविधा का सन्तुलन

ना पूर्ति होने वाली क्षति

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये जमाबन्दी हाल ग्राम भरीथल की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी संवत् 2012 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय व संवत् 2016 राजस्थान जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1960 लागू होने के समय सायलान एंव गैरसायल सं0 1 ला0 9 के संयुक्त हिन्दु परिवार की कब्जे काश्त में रही है और मुताविक धारा 13 एंव 15 आर टी एक्ट व धारा 29 जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम एंव गैरसायल सं0 1 ला0 9 को संयुक्त रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। उक्त सम्पूर्ण विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक आराजी थी जिस पर मौके पर मुताविक हिस्सा सायलान व गैरसायल सं0 1 ला0 9 काविज है परन्तु गैरसायलान के पूर्वजों ने गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों से वेजा साज वाज होकर अपने अकेलों के नाम सायलान को छोडते हुये दर्ज कराली जो कि कतई गलत है। सायलान विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा में सायल सं0 1–2 वहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा है तथा सायल सं0 3 ला0 8 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। राजस्व अभिलेख में हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर हाल खसरा नम्बर 125 रकवा 0.35 हे. को गैरसायल सं0 1–2 द्वारा गलत रूप से विना किसी अधिकार के एक दिखावटी वयनामा गैरसायल सं0 10 ला0 14 के हक में करा दिया है जो सायलान की हद तक सायलान के मुकाविले वातिल व वेअसर है। सायलान के हिस्से पर इस दिखावटी वयनामा से केताओं को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए उक्त आराजी में भी सायलान अपने आपको 1/4 हिस्से पर हिस्सानुसार खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर

गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करने की धमकी देते है तथा दीगर लोगों को रहन बय करने पर उतारू है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि, असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक हो इस सम्बन्ध में सायलान ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी ना होकर गैरसायलान की कब्जे काश्त की आराजी है खसरा नम्बर 390, 394, 125 गैरसायल सं0 1 के पिता के कब्जे काश्त की आराजी थी राज0 काश्त0 अधिनियम 1956 से ही उक्त आराजी पर गैरसायलान के पिता काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे खसरा नम्बर 99 नन्नू और घीसी के तन्हा कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर नन्नू और घीसी जीवित रहते हुये काश्त करते चले आ रहे थे मृत्यु के वाद उनके वारिसान उक्त आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 454 छोटी की खातेदारी की आराजी थी जिस पर नन्नू और घीसी ने तन्हा काविज रहकर काश्त की थी। आज भी उसके वारिसान काविज काश्तकार है। उक्त आराजी पैत्रिक आराजी न होकर गैरसायलान के पिता एंव दादाओं की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी खसरा नम्बर 2432, 2433, 2309 वाके ग्राम मसारी एंव खसरा नम्बर 344 वाके ग्राम भरीथल जिनके साविक खसरा नम्बर 1099 मिन, 544 मिन 66 मिन है। जिस आराजी पर सायल गैरसायल के पिता एंव दादा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

काश्त की आराजी थी। उक्त नम्बरान पर सायल के दादा एंव पिता काश्त करते चले आ रहे है। जो वर्तमान में सायलान की खातेदारी में दर्ज है। इन समस्त तथ्यों को छुपाकर सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मेण्टनेविल नहीं है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से पूर्व उक्त आराजी पर गैरसायलान के दादा एंव पिताओं के कब्जे काश्त में थी वन्दोवस्त कर्मचारियों ने सैटलमेंण्ट के समय कब्जे एंव मौके की जांच कर कब्जे के आधार पर उक्त नम्बरान को गैरसायलान की खातेदारी में सही दर्ज किया है। खसरा नम्बर 449–454 नन्नू व घीसी की कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर वो काविज रहकर काश्त कर रहे है। वयनामा दिखावटी न होकर वैद्य दस्तावेज है जिसे चुनौती देने का सायलान को अधिकार नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायलान का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। सायलान ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों, सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी हाल तथा गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत हाल व साविक रेवन्यु रेकार्ड व कानूनी नजीरों का अवलोकन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम भरीथल पेश की है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में परिवार का सजरा अंकित किया है जिस सजरा पर गैरसायलान ने कोई आपत्ति नहीं की है जिससे सावित है कि सायलान एंव गैरसायलान एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। सायलान ने विवादित

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (अलवर)

आराजी को पैत्रिक होना कथन किया है तथा गैरसायलान ने विवादित आराजी को अपने दादा पडदादाओं से विरासत में मिलना कथन किया है। विवादित आराजी पैत्रिक है या नहीं तथा विवादित आराजी गैरसायलान के वुजुर्गानी है या नहीं ये विन्दु प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय तय नहीं किये जाकर मूल वाद मे मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर ही तय किये जायेगें। पत्रावली के तथ्यो प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से यह सावित है कि सायलान एंव गैरसायलान संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा आपसी पारिवारिक विवाद है। गैरसायलान ने भी अपने समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह सावित हो कि विवादित आराजी गैरसायलान की वुजुर्गानी हो। वर्तमान रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर सकते है। हमारी राय में दावा के निर्णय तक विवादित आराजी के मूल स्वरूप को यथावत बनाये रखना जरूरी प्रतीत होता है। यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी को रहन वय या अन्य तरीके से खुर्द वुर्द कर दिया या सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो सायलान को नुकशान क्षति व अपार हानि होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति गैरसायलान के पक्ष में सावित ना होकर सायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि

वो आराजी खसरा नम्बर 340, 394, 454, 449, 99, 125 ग्राम भरीथल तहसील कठूमर के मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 30.07.2020 कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 25.05.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)